न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : धारा सिंह मीना, RAS

अपील संख्या 33 / 2022

1 कल्याण सिंह पुत्र केशाराम।
2 भागीरथ सिंह पुत्र केशाराम।
3 लक्ष्मण सिंह पुत्र केशाराम समस्त जाति दरोगा निवासीगण कबीरसर तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 ओमसिंह पुत्र जोरावर सिंह।
2 बालूसिंह पुत्र केशाराम समस्त जाति दरोगा निवासीगण कबीरसर तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू।
3 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मलसीसर जिला झुंझुनू।
4 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मण्डावा जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 07.02.2022 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर बमुकदमा उनवानी ओमसिंह बनाम कल्याण सिंह वगैरह मुकदमा नम्बर 100 / 2020 आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।

उपस्थिति :

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

1. श्री कायम सिंह शेखावत, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विक्रम दुलड़, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः–28-2-23

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर द्वारा मुकदमा नम्बर 100/2020 में पारित निर्णय दिनांक 07.02.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट नं. 1 ने एक आवेदन पत्र अं. धारा 251 क आर.टी.एक्ट. का अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष इस आशय का पेश किया गया कि वाके ग्राम कबीरसर पटवारी हल्का पिलानी खुर्द की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 309 रकबा 3.13 हैक्टर आवेदक की खातेदारी काश्तकारी की भूमि है जिसमें आवेदक का 1/4 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है जिसमें आने जाने के लिए प्रार्थी की भूमि खं.नं. 358/2011 रकबा 2.69 हैक्टर गैर मुमकीन चारागाह में जाने वाली सड़क से अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 4 के खेत खं.नं. 263 रकबा 2.43 हैक्टर भूमि के पश्चिमी सीमा के सहारे–सहारे नजरी नक्शे में दर्शित बिन्दु ए से बी तक अपने खेत खं.नं. 309 में आवागमन करता है। इसके अतिरिक्त आवेदक के खेत में आने जाने के लिए अन्य कोई बैकल्पि रास्ता उपलब्ध नहीं है। अन्त में प्रार्थी को खेत खसरा नम्बर 309 में आने जाने के लिए खेत खसरा नम्बर 263 की पश्चिमी सीमा सहारे–सहारे नजरी नक्शे में दर्शित बिन्दु ए सी बी तक 16 फीट रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का आदेश फरमाया जावें। आदि का पेश किया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलान्ट को नोटिस जारी किया गया। इसके पश्चात अपीलान्ट की ओर से वकालतनामा पेश किया गया तथा पत्रावली में तारीख पेशी जवाब हेतु नियत की गई। इसके पश्चात अपीलान्ट के वकील द्वारा प्रार्थना–पत्र अः धारा आदेश 1 व धारा 151 सीपीसी का पेश

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झनूं)

किया गया तथा नकल रेस्पोडेन्ट के वकील को दी गई। तथा पत्रावली प्रार्थना पत्र के जवाब में चल रही थी तथा रेस्पोडेन्ट के वकील ने प्रार्थना पत्र का जवाब दिया गया उसके पश्चात ही श्रीमान न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट के पक्ष में दिनां 07.02.2022 को निर्णय पारित कर दिया गया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में पत्रावली जवाब हेतु चल रही थी। विचारण न्यायालय ने विधिक प्रकिया अपनाये बिना ही विचाराधीन निर्णय पारित किया है। विचारण न्यायालय में खसरा नम्बर 263 से रास्ता मांगा गया था जबकि रेस्पोडेन्ट खसरा नं. 264 से ही आवागमन कर रहा है। विचारण न्यायालय में अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। अतः अपील स्वीकार कर प्रकरण रिमांड किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में अपीलांट ने जवाब के स्थान पर 151 का आवेदन प्रस्तुत किया था। पत्रावली में संलग्न मौका रिपोर्ट से वैकल्पिक रास्ते का अभाव एवं लघुतम दुरी का रास्ता प्रस्तावित करना प्रकट है। धारा 251 ए में संक्षिप्त कार्यवाही होती है। विचारण न्यायालय के निर्णय की पालना हो चुकी है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में पत्रावली दिनांक 10.08.2021 एवं 31.08.2021 को जवाब हेतु नियत रही है। दिनांक 23.09.2021 , 08.12.2021, 30.12.2021 को सील अंकित कर तारीख दी गई है। दिनांक 07.02.2022 को धारा 151 के आवेदन का निस्तारण किये बिना, अपीलांट का जवाब प्राप्त किये बिना सीधे ही विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है। स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

विधिक प्रक्रिया की पालना नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में अपीलांट का जवाब प्राप्त कर उभयपक्ष की उपस्थिति में पुनः मौका रिपोर्ट प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 20.03.2023 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 28-2-23 को सरे इजलास सुनाया गया।

(धारा सिंह मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर